कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नवीन महाविद्यालय, जटगा जिला कोरबा (छ.ग.)
AISHE CODE C-62585 Email-gncjatga2018@gmail.com Mo. 9165301795

क्रं. / 142 / अति.व्या. / 2026 जटगा, दिनांक : 19.08.2026

:: अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन ::

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लाक सी-30 इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक ESTB-2035/637/2026-RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.2026 के निर्देशानुसार शासकीय नवीन महाविद्यालय जटगा, जिला-कोरबा में निम्नलिखित विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एव आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 01.09.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करे) पता, **प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय जटगा, जिला-कोरबा (छ.ग.) 495445** में भेज कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता-

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षको और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातक एवं स्नातकोतर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता भर्ती नियमों के अनुसार यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते है, तो राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण:

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या	
		प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक
1	समाजशास्त्र	-	01

टीपः- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

शर्ते :-

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट / नेट, एम. फिल. / पी-एच.डी., अनुभव प्रमाण पत्र, शोध पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 01.09.2026 दोपहर 2:00 बजे तक डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 04.09.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट **(www.gncjatga.in)** पर प्रकाशित किया जावेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 07.09.2026 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 10.09.2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट **(www.gncjatga.in)** अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिकायत / कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आंवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. मानदेय:

    अतिथि व्यवस्था के अन्तर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगाः-

    - अतिथि व्याख्याता मानदेय 2000 /- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/-)
    - अतिथि शिक्षण सहायक - 1400/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/-)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता, **प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय जटगा, जिला-कोरबा (छ.ग.) 495445** एवं आवेदित विषय / पद आवश्यक रुप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
जटगा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्र./ **/ अति.व्या. / 2026** **जटगा, दिनांक : 19.08.2026**

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी, कोरबा को समाचार स्वरूप प्रकाशनार्थ एवं सूचनार्थ।
4. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय शासकीय इ.वि. पीजी महाविद्यालय, कोरबा को सूचनार्थ।
5. सूचना पटल / वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अतिथि व्याख्याता चयन समिति फाईल।

-sd-

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय
जटगा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner